रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 6, 1990/आषाढ़ 15, 1912
No. 381] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 6, 1990/ASADHA 15, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बीमा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1990

का. आ. 542 (अ).—केन्द्रीय सरकार साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृंद के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) स्कीम, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

1. इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृंद के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) द्वितीय संशोधन स्कीम, 1990 है ।

2. साधारण बीमा पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृंद के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) स्कीम, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 6क के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"6ख. कर्मचारियों का वेतन और भत्ते और 1 जनवरी, 1990 से मूल वेतन का नियत किया जाना—ऐसे प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन जिसका वेतनमान साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृंद के वेतनमान और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) द्वितीय संशोधन स्कीम, 1990 द्वारा पुनरीक्षित किया गया है, इस प्रकार पुनरीक्षित संशोधित वेतनमान के तत्स्थानी प्रक्रम पर, यथास्थिति, 1 जनवरी, 1990 को उस की नियुक्ति की तारीख से नियत किया जाएगा और पैरा 4 के उप-पैरा (6) और (7) और पैरा 6ख के उपबंध, जहां तक हो सके, मूल वेतन और भत्ता संबंधी नियम करते समय वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उन पैराओं में निर्दिष्ट कर्मचारियों की दशा में ऐसे मामलों के संबंध में लागू होते हैं ।

3. उक्त स्कीम की पांचवीं अनुसूची में,—

(क) मद "1. संशोधित वेतनमान (मूल वेतन)",—

(i) "क—पर्यवेक्षी और लिपिकीय कर्मचारिवृंद" शीर्षक के नीचे "उपमद (4) और (5)" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा

और 1 जनवरी, 1990 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) सहायक, टाइपिस्ट, टेलीफोन आपरेटर, टेलेक्स आपरेटर, स्वागतकर्ता, पंच-कार्ड आपरेटर, यूनिट रिकार्ड मशीन आपरेटर, कम्प्यूटिस्ट और अन्य समतुल्य पद :

1000-50-1050-60-1170-70-1450-80-1930-100-2030-110-2140-120-2500-240-2740-120-2860 रु.

(5) अभिलेख लिपिक :

930-35-1000-40-1200-50-1500-60-1800-70-2010 रु.)

(ii) "ख—अधीनस्थ कर्मचारिवृंद" शीर्षक के नीचे, उपमद (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा और 1 जनवरी, 1990 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) अन्य अधीनस्थ कर्मचारिवृंद :

816-25-840-35-1260-40-1380-45-1470-50-1520

(ख) मद iii—महंगाई भत्ता में, सारणी में "महंगाई भत्ते की दर" शीर्षक के नीचे, अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द से भिन्न सभी कर्मचारी" से प्रारंभ होने वाले, और "2850 रुपए से अधिक मूल वेतन का 0.33 प्रतिशत" से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा और 1 अगस्त, 1987 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द से भिन्न सभी कर्मचारी :
मूल वेतन

(i) 2500 रुपए तक	मूल वेतन का 0.67 प्रतिशत।
(ii) 2500 रुपए से अधिक	2500 रुपए का 0.67 प्रतिशत धन 2500 रुपए से अधिक मूल वेतन का 0.55 प्रतिशत।";

(ग) मद "iv—तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ता" में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा और 1 जुलाई, 1990 से अंत में जोड़ा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के पश्चात् एक वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर ऐसे कर्मचारी पूर्ण दर के आधे से अन्यून का अर्हता भत्ता प्राप्त करेगा और एक वर्ष की और सेवा के पश्चात् उक्त अर्हता भत्ता पूर्ण रूप से संदत्त किया जाएगा।";

(घ) मद "V स्नातक भत्ता" में उप-मद (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा और 1 जुलाई, 1990 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) सहायक के वेतनमान में कर्मचारियों को स्नातक वेतन-वृद्धि/भत्ते (क) ऐसे किसी कर्मचारी को जिसे सहायक के वेतनमान वाले किसी पद पर नियुक्त या प्रोन्नत किया जाता है और वह 1 जनवरी, 1973 को या उसके पश्चात् किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के रूप में अर्जित हो जाता है और वह अधिकतम वेतनमान पर नहीं पहुंचता है, परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन की तारीख से या 1 जुलाई, 1990 या सहायक के वेतनमान में नियुक्ति की तारीख से, इनमें से जो भी बाद में हो, वेतनमान में दो वेतन-वृद्धियां मंजूर की जाएंगी परन्तु यह तब जबकि उसने ऐसे स्नातक के रूप में अर्हित होने के लिए स्नातक वेतन-वृद्धियां या अर्हता वेतन या नियुक्ति पर कोई अग्रिम वेतन वृद्धि, भूतपूर्व सैनिकों को दी गई उपलब्धियों के संरक्षण से अन्यथा पहले ही प्राप्त नहीं कर ली है।

परन्तु यदि स्नातक के लिए वेतन वृद्धि के लिए हकदार कोई कर्मचारी 2740 रुपए का मूल वेतन प्राप्त कर रहा है तो उसे स्नातक के लिए केवल एक वेतन वृद्धि मंजूर की जाएगी।

(ख) सहायक के वेतनमान में कोई ऐसा कर्मचारी जो किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक है और जो अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुका है, उसके अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् या 1 जुलाई, 1990 से, इनमें से जो भी बाद में हो, 65 रुपए प्रतिमास का स्नातक भत्ता दिया जाएगा और एक वर्ष की और सेवा के पश्चात् 65 रुपए का उक्त स्नातक भत्ता बढ़ाकर 130 रुपए प्रतिमास कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण :—इस उपमद के प्रयोजनों के लिए, (i) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(ii) सहायक के वेतनमान में कर्मचारियों को संदेय स्नातक भत्ता मूल वेतन का भाग नहीं माना जाएगा।

परन्तु उक्त स्नातक भत्ते के 60 प्रतिशत की गणना गृह किराया भत्ता, भविष्य निधि उपदान और उच्चतर काडर में प्रोन्नति पर उपयुक्तता के प्रयोजनों के लिए की जाएगी।"।

[फा. सं० 2(19)/इन्स-3/90]

एन. आर. रंगानाथन, विशेष सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने भारतीय साधारण बीमा निगम और समनुषंगी कंपनियों के कर्मचारियों की बाबत कुछ वेतनमानों और सेवा की शर्तों को भूतलक्षी प्रभाव से विभिन्न तारीखों से पुनरीक्षित करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। तदनुसार, साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) स्कीम, 1974 का संशोधन किया जा रहा है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय साधारण बीमा निगम या उसकी समनुषंगी कंपनियों के किसी कर्मचारी पर अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पण : मूल स्कीम, अधिसूचना सं. का. आ. 326 (अ) तारीख 27 मई, 1974 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

बाद में अधिसूचना सं. का. आ. 471 (अ), तारीख 5-9-1975, 5415 तारीख 22-12-1975, 390 (अ) तारीख 1-6-1976, 4455 तारीख 11-11-1976, 2443 तारीख 30-7-1977, 1046 तारीख 29 मार्च, 1978, 1049 तारीख 29 मार्च, 1978, 1410 तारीख 26 अप्रैल, 1978, 3429 तारीख 16 नवम्बर, 1978, 314 (अ) तारीख 13 मई, 1980, 827 (अ) तारीख 30 सितम्बर, 1980, 729 (अ) तारीख 21 सितम्बर, 1984, 769 (अ) तारीख 15 अक्तूबर, 1985, 884 (अ) तारीख 9 दिसम्बर, 1985, 729 (अ) तारीख 3 अक्तूबर, 1986, 441 (अ) तारीख 27 अप्रैल, 1987, 1039 (अ) तारीख 7 दिसम्बर, 1987, 780 (अ) तारीख 22 अगस्त, 1988, 783 (अ) तारीख 22 अगस्त, 1988, 1160 (अ) तारीख 9 दिसम्बर, 1988, 180 (अ) तारीख 10 मार्च, 1989, का. आ. 356 (अ) तारीख 12 मई, 1989 और का. आ. 405 (अ) तारीख 24-5-1990 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Insurance Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 1990

S.O. 542(E).—In exercise of the powers conferred by section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following Scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974, namely :—

1. This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Second Amendment Scheme, 1990.

2. In the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme 1974 (hereinafter referred to as the said Scheme), after Paragraph 6B, the following shall be inserted, namely :—

"6C. Pay and Allowances of employees and fixation of basic salary with effect from 1st January, 1990.—The basic salary of every employee whose scale of pay has been revised by the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Second Amendment Scheme, 1990 shall be fixed with effect from the 1st day of January, 1990 or the date of his appointment, as the case may be, as the corresponding stage in the respective scale of pay as so revised and the provisons of sub-paragraphs (6) and (7) of paragraph 4 and paragraph 6B shall apply, so far as may be, while fixing basic salary and payment of allowances as they apply in relation to such matters in the case of employees referred to in those paragraphs."

3. In the Fifth Schedule to the said Scheme,—

(a) in item "I AMENDED SCALE OF PAY (BASIC SALARY)" ,—

(i) under the heading "A-Supervisory and Clerical Staff", for sub items (4) and (5), the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st day of January, 1990, namely :—

"(4) Assistant, Typist, Telephone Operator, Telex Operator, Receptionist, Punch Card Operator, Unit Record Machine Operator, Comptist, and other equivalent positions :—

Rs. 1000-50-1050-60-1170-70-1450-80-1930-100-2030-110-2140-120-2500-240-2740-120-2860.

(5) Record Clerk :

Rs. 930-35-1000-40-1200-50-50-1500-60-1800-70-2010.";

(ii) under the heading "B. Subordinate Staff" for sub-item (2), the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of January, 1990, namely :—

"(2) Other Subordinate Staff :

Rs. 815-25-840-35-1260-40-1380-45-1470-50-1520.";

(b) in item III—Dearsess Allowance, in the Table under the heading "Rate of Dearness Allowance", for the portion beginning with "All employees other than Subordinate Staff, and ending with "in excess of Rs. 2850|-", the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of August, 1987, namely :—

"All employees other than Subordinate Staff Basic Salary

(i) Upto Rs. 2500|- 0.67% of basic Salary.

(ii) Exceeding Rs. 2500|- 0.67% of Rs. 2500|- plus 0.55% of basic salary in excess of Rs. 2500|-.";

(c) in item "IV. ALLOWANCE FOR TECHNICAL QUALIFICATIONS", the following shall be added and shall be deemed to have been added at the end with effect from the 1st day of July, 1990, namely :—

"Such employee in completion of service of one year after reaching the maximum of the scale shall receive the qualification allowance amounting to not less than one-half of the full rate and after a further service of one year, the said qualification allowance shall be paid in full.";

(d) in item "V. GRADUATION ALLOWANCE", for sub-item (1), the following be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 1990, namely :—

"(1) GRADUATION INCREMENTS/ALLOWANCE TO EMPLOYEES IN THE SCALE OF ASSISTANT :

(a) An emlpoyee who is appointed or promoted to any post in the scale of Assistant and who has qualified as a Graduate of a recognised University on or after the 1s

day of January 1973, and has not reached the maximum of the scale shall be granted two increments in the scale with effect from the date of publication of results of the examination or the 1st day of July, 1990, or the date of appointment in the scale of Assistant, whichever is later, provided he has not already received graduation increments or qualification pay for having qualified as such graduate or any advance increments on appointment, otherwise than by way of protection of emoluments granted to ex-servicemen :

Provided that if an employee entitled to increments for graduation is drawing basic salary of Rs. 2740|-, only one increment for graduation shall be granted to him.

(b) An employee in the scale of Assistant who is a graduate of a recognised University and has reached the maximum of the scale shall be paid graduation allowance of Rs. 65|- per month one year after he has reached the maximum of the scale or with effect from the 1st day of July, 1990, whichever is later and after a further service of one year the said graduation allowance of Rs. 65|- shall be increased to Rs. 130|- per month.

EXPLANATION.—For the purposes of this sub-item; (i) "recognised University" shall mean a University recognised by the University Grants Commission.

(ii) Graduation allowance payable to employees in the scale of Assistant shall not be treated as part of basic salary:

Provided that 60% of the said Graduation allowance shall count for the purpose of House Rent Allowance, Provident Fund, Gratuity and Fitment on promotion to the higher cadre.".

[F. No. 2(19)|Ins. III|90]

N. R. RANGANATHAN, Spl. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded approval to revise from different dates with retrospective effect certain scales of pay and conditions of service in respect of the employees of the General Insurance Corporation of India and Subsidiary companies. The General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974 is being amended accordingly.

2. It is certified that no employee of General Insurance Corporation of India or its subsidiary Companies is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Note : The Principal Scheme was published vide Notification No. S.O. 326(E) dated 27th May, 1974.

Subsequently amended by Notification No. S. O. 472(E), dated 5th September 1975, 5415 dated 22nd December, 1975, 390(E) dated 1st June, 1976, 4466 dated 11th November, 1976, 2443 dated 30th July, 1977, 1046 dated 29th March, 1978, 1049 dated 29th March, 1978, 1410 dated 26th April, 1978, 3429 dated 16th November, 1978, 314(E) dated 12th May, 1980, 827(E) dated 30th September, 1980, 729(E) dated 21st September, 1984, 769(E) dated 15th October, 1985, 884(E) dated 9th December, 1985, 729(E) dated 3rd October, 1986, 441(E) dated 27th April, 1987, 1039(E) dated 7th December, 1987, 780(E) dated 22nd August, 1988, 783(E) dated 22nd August, 1988, 1160(E) dated 9th December, 1988, 180(E) 10th March, 1989, S.O. 356(E) dated 12th May, 1989 and S.O. 405(E) dated 24-5-1990.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1990